2019 का विधेयक सं. 5

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 23 दिसम्बर, 2018 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 23 दिसम्बर, 2018 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

> "(9) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि -परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले से ही संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि -परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि -परिषद् में अपने स्थान से

या, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी समिति का अध्यक्ष है, संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य या किसी जिला परिषद् के प्रमुख या किसी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि उसने संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् में अपने स्थान से या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे दिया हो:

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियिम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (9) अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी की किसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्य विधान-मण्डल का सदस्य, दोनों पद धारित करने से निर्बंधित करती है। सहकारी आन्दोलन में राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य के अनुभव का फायदा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (9) को संशोधित करने का विनिश्चय किया था ताकि उक्त निर्बंधन को हटाया जा सके और राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य को भी किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए और उस पद को धारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। तदनुसार, उक्त उप-धारा (9) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 26 दिसम्बर, 2018 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 6) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अंजना उदयलाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.- (1) से (8) XX XX

(9) कोई भी व्यक्ति एक साथ समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले से ही संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संसद या राज्य विधान-मण्डल में अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, संसद के किसी सदस्य या राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या,

किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संसद या राज्य विधान-मण्डल का सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि उसने संसद या राज्य विधान-मण्डल की अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे दिया हो।

(10) से (13) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No. 5 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 23rd day of December, 2018.

2. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing sub-section (9) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 23rd day of December, 2018, namely:-

> ‘‘(9) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he

becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided further that he may become member of the committee or a Director.''.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 6 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (9) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 inter alia restricts a person to hold both the offices of a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee of co-operative society and a member of the State Legislature. In order to avail the benefit of the experience of a member of the State Legislature in the co-operative movement, the State Government had decided to amend sub-section (9) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 so as to remove the said restriction and allow a member of the State Legislature also to get elected and hold office of a Chairperson or a Vice-Chairperson of a Co-operative Society. Accordingly, the said sub-section (9) was proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 6 of 2018) on 26th December, 2018, which was published in Rajasthan Gazette Extraordinary, Part IV(B) dated 26th December, 2018.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अंजना उदयलाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001
(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX XX XX

28. Disqualification of membership etc. of committees.- (1) to (8) xx xx xx xx xx xx xx

(9) No person shall remain both a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee and a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body and, if already a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson or Vice-Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson or Vice-Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns from his membership of the Parliament or the State Legislature or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body as the case may be:

Provided that a person who is already a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee is elected as a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Parliament or the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, as the case may be, he shall cease to be such

Chairperson or Vice-Chairperson of the committee unless he has previously resigned from his membership of the Parliament or the State Legislative Assembly or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body, as the case may be.

(10) to (13) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 5

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(अंजना उदयलाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 5 of 2019

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(**Anjana Udailal, Minister-Incharge**)